अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ओवरव्यू

अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ओवरव्यू

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) बनते हैं। राज्य ने सा.क्षे.उ. में ₹ 35,778.36 करोड़ का निवेश किया – इक्विटी: ₹ 8,546.45 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 27,231.91 करोड़। राज्य सा.क्षे.उ. की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2013 को राज्य सा.क्षे.उ. में 35,577 कर्मचारी ***(परिशिष्ट I)*** नियुक्त थे। 31 मार्च 2013 को 29 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम थे। एक कंपनी अर्थात् हरियाणा कोल कंपनी, वर्ष के दौरान आरंभ की गई थी। वर्ष के दौरान कोई कंपनी आमेलित/बंद नहीं की गई थी।

1.2 लेखापरीक्षा आदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। सैक्शन 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कम्पनी में उस सरकारी कम्पनी की नियन्त्रित कम्पनी शामिल होती है। पुनः, कम्पनी अधिनियम के सैक्शन 619 – बी के अनुसार, सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी संयोजन का जिस कम्पनी में 51 *प्रतिशत* की प्रदत्त पूंजी होती है वह सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानक सरकारी कम्पनी) समझी जाती है।

ऊपर परिभाषित, राज्य सरकार की ऐसी कम्पनियों के लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31 सा.क्षे.उ. (एक 619-बी कम्पनी सहित) में 31 मार्च 2013 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 35,778.36 करोड़ था।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी		संख्या	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	योग
कार्यरत	सरकारी कम्पनियां	22	8,308.91	27,025.60	35,334.51
	सांविधिक निगम	2	213.35	92.70	306.05
	योग	**24**	**8,522.26**	**27,118.30**	**35,640.56**
अकार्यरत	सरकारी कम्पनियां	7	24.19	113.61	137.80
	सांविधिक निगम	-	-	-	-
	योग	**7**	**24.19**	**113.61**	**137.80**
कुल योग		**31**	**8,546.45**	**27,231.91**	**35,778.36**

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का सार ***परिशिष्ट I*** में वर्णित है।

31 मार्च 2013 को राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.61 *प्रतिशत* कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.39 *प्रतिशत* अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 23.89 *प्रतिशत* पूंजी एवं 76.11 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2008-09 में ₹ 20,408.28 करोड़ से 75.31 *प्रतिशत* बढ़कर 2012-13 में ₹ 35,778.36 करोड़ हो गया था। उसी अवधि के दौरान, निवेश-वृद्धि में से, पूंजी 2008-09 में ₹ 5,962.15 करोड़ से 43.35 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 8,546.45 करोड़ हो गई तथा ऋण ₹ 14,446.13 करोड़ से 88.51 प्रतिशत बढ़कर ₹ 27,231.91 करोड़ तक पहुंच गए। कुल निवेश में वृद्धि नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है।

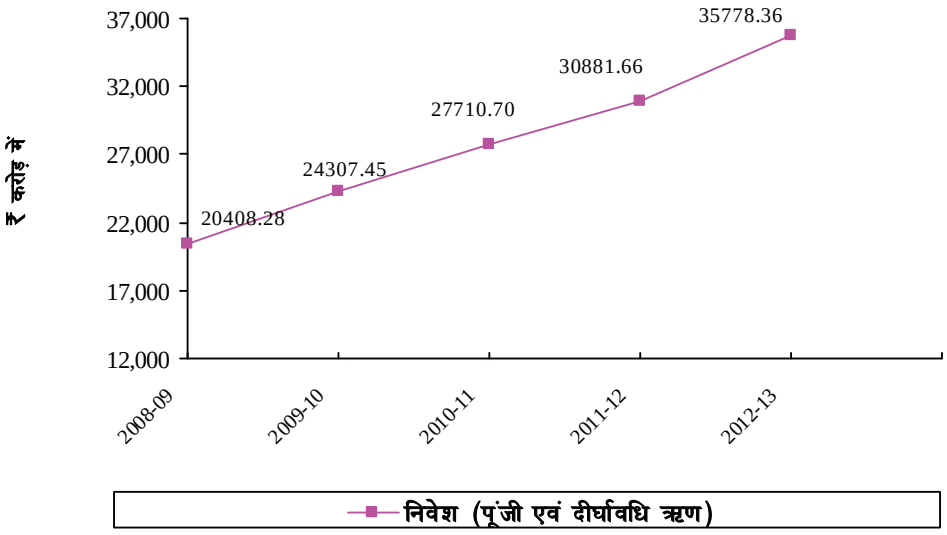

31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उसकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित है।

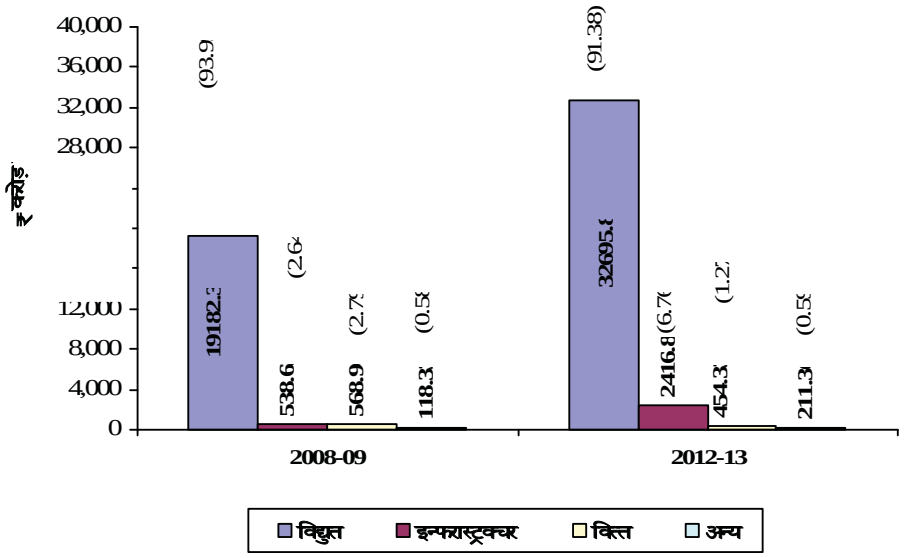

(कोष्ठकों में दिए नंबर कुल निवेश में क्षेत्रगत निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है, सा.क्षे.उ. में निवेश का अत्यधिक बल विद्युत क्षेत्र में था जो 2008-09 के दौरान ₹ 19,182.36 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 32,695.82 करोड़ हो गया। मूलभूत-संरचना क्षेत्र में भी निवेश 2008-09 के दौरान ₹ 538.63 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2,416.85 करोड़ हो गया। पूंजी में निवेश ₹ 2,584.30 करोड़ तक बढ़ गया तथा दीर्घावधि ऋणों में ₹ 12,785.78 करोड़ तक की वृद्धि हुई। निवेश में समग्र निवल वृद्धि ₹ 15,370.08 करोड़ तक थी।

1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

राज्य सरकार द्वारा राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी बहिर्गमन	9	805.74	9	726.80	7	199.65
2.	बजट से दिए गए ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	14	6,041.84	13	7,320.55	10	10,319.97
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	16[1]	6,847.58	16[1]	8,047.35	13[1]	10,519.62
5.	जारी गारंटिया	3	1,115.93	6	1,654.25	5	15,908.95
6.	गारंटी वचनबद्धता	12	2,549.98	10	3,596.34	9	17,111.18

[1] कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा परिदानों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यरत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटियां 2011-12 में ₹ 1,654.25 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 15,908.95 करोड़ हो गईं। फाइनैंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान (एफ.आर.पी.) के अंतर्गत पावर सैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लघु अवधि देयताओं की रीस्ट्रक्चरिंग तथा खाद्यान्नों के प्रापण की आवश्यकता को वहन करने के लिए हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम द्वारा प्राप्त की गई वृद्धित कैश क्रेडिट सुविधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई राशि बढ़ गई।

2012-13 के दौरान सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त की गई गारंटी ₹ 15,908.95 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2013 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 17,111.18 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से सा.क्षे.उ. के सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो *प्रतिशत* की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा 2012-13 के दौरान देय गारंटी फीस ₹ 404.92 करोड़ थी जिसमें से ₹ 402.82 करोड़ का भुगतान किया गया था। 2012-13 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा बकाया गारंटी फीस ₹ 2.10 करोड़ थी (हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम)।

1.5 वित्त लेखाओं का मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	**वित्त लेखाओं के अनुसार राशि**	**सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि**	**अंतर**
इक्विटी	7,163.88	7,359.25	195.37
ऋण	838.57	881.50	42.93
गारंटियां	17,974.33	17,111.18	863.15

ये अन्तर, 24 सा.क्षे.उ. के संबंध में घटित पाया गया था। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 2*** में दिए गए हैं। 23 कार्यरत सा.क्षे.उ. ने पूरक लेखापरीक्षा[2] के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए, जिनमें से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 10,120.57 करोड़ की हानि उठाई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 140.07 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 71.94 करोड़) तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (₹ 28.27 करोड़) मुख्य लाभ अर्जक थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

[2] वर्ष 2008-09 के लिए (तीन सा.क्षे.उ.), 2009-10 (दो सा.क्षे.उ.), 2010-11 (दो सा.क्षे.उ.), 2011-12 (12 सा.क्षे.उ.) तथा 2012-13 (चार सा.क्षे.उ.)।

लिमिटेड (₹ 8,603.60 करोड़), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,352.41 करोड़) तथा हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 160.49 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,875.21 करोड़ की नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 221.20 करोड़ के निष्फल निवेश किए जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था। विवर I नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवर I	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणयोग्य हानियां/परिहार्य व्यय	1,251.60	1,497.16	126.45
निष्फल निवेश	184.23	36.97	-

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया था(अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्त शेयर-पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* लाभ अदा करना है। 15 सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 292.35 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। फिर भी, केवल चार सा.क्षे.उ.[3] ने ₹ 6.60 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा नौ सा.क्षे.उ. ने कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया।

1.7 लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 166, 210, 230, 619-ए और 619-बी के अधीन कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: मास के अन्दर अंतिमकृत किए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमश: संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

30 सितंबर 2013 तक कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

तालिका 1.5

क्र.सं.	**विवरण**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	22	21	22	22	24
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	23	17	23	22	21
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	26	30	29	29	34
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ. (3/1)	1.23	1.38	1.32	1.32	1.41
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	12	16	17	17	19
6.	बकाया-अवधि (वर्षों में)	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 4	1 से 4

[3] हरिया II राज्य वेयरहाउसिंग निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड ।

कंपनियों द्वारा बताया गया कि लेखाओं के अन्तिमकरण की देरी के मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण नहीं होना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया थे। परिसमापनाधीन दो अकार्यरत सा.क्षे.उ. को छोड़ने के बाद पांच अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे अंतिमकृत किए तथा शेष दो सा.क्षे.उ. के लेखे एक से दो वर्ष के लिए बकाया थे।

उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 11 सा.क्षे.उ. में ₹ 9,048.70 करोड़ (इक्विटी: ₹ 178.50 करोड़, अनुदान: ₹ 43.92 करोड़ और सबसिडी: ₹ 8,826.28 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सा. क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। प्र.म.ले. द्वारा लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के संज्ञान में लाई गई। फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप हम 31 मार्च 2013 को इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके। लेखाओं के पुराने बकाया को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने का मामला प्रधान महालेखाकार ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (जुलाई 2013) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:

- बकाया के निपटान के निरीक्षण हेतु सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।
- सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।

1.8 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बन्द करना

31 मार्च 2013 को सात अकार्यरत सा.क्षे.उ. (सभी कम्पनियां) थे। इनमें से दो सा.क्षे.उ.[4] परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थे। तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके अस्तित्व से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। 2012-13 के दौरान, तीन अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने स्थापना पर ₹ 54.45 लाख का व्यय किया। यह व्यय परिसम्पत्तियों के निपटान (₹ 35.14 लाख), ब्याज तथा कंपनियों के पास पड़े बैंक बैलेंस के माध्यम से वहन किया गया था। सरकार अकार्यरत कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

[4] हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

1.9 लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1 अक्तूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के दौरान 16 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 17 लेखापरीक्षित लेखे प्र.म.ले. को अग्रेषित किए। दस लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई तथा सात लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, एक सांविधिक निगम (हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) ने इस अवधि के दौरान अपने वर्ष 2011-12 के लेखे तथा दूसरे (हरियाणा वित्तीय निगम) ने पूर्ववर्ती अवधि के दौरान पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे भेजे। दो सांविधिक निगमों अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. तथा एच.एफ.सी. की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव	कंपनियां				निगम			
		2011-12		2012-13		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	72.34	5	11.48	2	2.77	1	3.98
2.	हानि का बढ़ना	8	3,025.35	4	6,018.96	1	30.80	-	-
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	0.55	4	234.35	-	-	1	29.76
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	4	68.15	-	-	-	-
	योग		**3,098.24**		**6,332.94**		**33.57**		**33.74**

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 11 लेखाओं को परिमित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह देखा कि कम्पनियों की लेखा मानकों (ले.मा.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान 9 लेखाओं में ले.मा. से अनुपालना न करने के 31 उदाहरण मिले।

कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

तालिका 1.7

कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	टिप्पणी का सार
एच.पी.जी.सी.एल.[5]	2011-12	ब्याज के नान-कैपिटलाइजेशन के परिणामस्वरूप हानि का अतिकथन तथा ₹ 5.93 करोड़ तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) का अवकथन
एच.एस.आई.आई.डी.सी.[6]	2011-12	औद्योगिक क्षेत्र के विकास या रख-रखाव के लिए बनाई गई स्टोर मदों की लागत शामिल करने के कारण ₹ 4.54 करोड़ की इन्वेंटरीज का अतिकथन तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों का अवकथन
एच.एस.सी.एफ.डी.सी.[7]	2008-09	ब्याज तथा पेनल ब्याज, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, शामिल करने के कारण लाभ ₹ 3.46 करोड़ तक अतिकथित
एच.बी.सी. एंड ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.[8]	2008-09	राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को देय पेनल ब्याज की देयता का प्रावधान न होने के कारण हानि के साथ-साथ ₹ 2.43 करोड़ के प्रावधानों का अवकथन
सांविधिक निगम का नाम	**लेखा वर्ष**	**टिप्पणी का सार**
एच.एस.डब्ल्यू.सी.[9]		• भा.खा.नि. से वसूलनीय राशि के विरूद्ध कम प्रावधान के कारण ₹ 0.25 करोड़ तक लाभ का अतिकथन • आयकर के कम प्रावधान के कारण ₹ 0.31 करोड़ तक लाभ का अतिकथन

5 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

6 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

7 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

8 हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड।

9 हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के अनुसार एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ लेखाओं के मिलान तथा लेखांकन प्रक्रियाओं/पद्धतियों में परिवर्तनों के कारण हानि में वृद्धि ₹ 6,010.71 करोड़ थी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 619(3)(ए) के अन्तर्गत उनको, नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना अपेक्षित है जहां सुधार की जरूरत है। वर्ष 2012-13 के लिए, कंपनियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का व्याख्यात्मक सार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गई थी	*परिशिष्ट-2* के अनुसार कंपनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	4	ए1, ए3, ए11, ए14
2.	कम्पनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	5	ए5, ए11, ए13, ए14, ए16
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पतियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	5	ए5, ए6, ए10, ए16, सी1
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	1	ए14
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/ अविद्यमान होना	6	ए5, ए6, ए11, ए13, ए14, ए16
6.	कंप्यूटर प्र ाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	7	ए1, ए5, ए6, ए10, ए13, ए14, ए17

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ तीन लाख की वसूली उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्धन को बताई गई, जो सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2012-13 के दौरान ही वसूल कर ली गई थी।

1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

निम्नलिखित तालिका 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा विधानसभा में नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को दर्शाती है:

तालिका 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस.ए.आरज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके एस.ए.आरज विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए	
			एस.ए.आर का वर्ष	निगम द्वारा सरकार को जारी करने की तिथि
1.	हरियाणा वित्तीय निगम	2010-11	2011-12	13-03-2013
2.	हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम	2009-10	2010-11	मुद्रणाधीन
			2011-12	मुद्रणाधीन
			2012-13	मुद्रणाधीन

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों के उत्तर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 102.75 करोड़ से आवेष्टित दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 23.70 करोड़ से आवेष्टित 10 लेखापरीक्षा अनुच्छेद छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, ₹ 91.12 करोड़ के धन मूल्य से आवेष्टित एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 10 संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.14.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ हुए संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए हैं (जुलाई 1996) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर पी.ए.सी./कोपु से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को क्रमशः फरवरी 2012 तथा मार्च 2013 में प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी तीन विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थी, **तालिका 1.10** के अनुसार 22 अनुच्छेदों में से पांच के उत्तर 30 सितंबर 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 1.10

आडिट रिपोर्ट (वाणिज्यिक) का वर्ष	आडिट रिपोर्ट में प्रकट समीक्षा/पैरों की संख्या		समीक्षा/पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	
	समीक्षा	पैरा	समीक्षा	पैरा
2010-11	2	9	-	1
2011-12	2	13	-	4
योग	**4**	**22**	-	**5**

प्रतीक्षित उत्तर मुख्यत: विद्युत विभाग से थे।

1.14.2 लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

फरवरी 2009 तथा मार्च 2014 के बीच राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के पांच प्रतिवेदनों से संबंधित 16 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2014) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.1

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्टों में पैरों की संख्या	पैरों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	9 (पैरा सं. 1 से 8 और 10)
योग	**5**	**58**	**16**

कोपु के इन प्रतिवेदनों में पांच[10] विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं जो 1999-2000 से 2009-10 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थीं।

1.14.3 कोपु की लंबित सिफारिशें

1976-77 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 173 सिफारिशों से समायुक्त समिति के 26 प्रतिवेदन, 30 सितंबर 2014 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा इन सिफारिशों के अकार्यान्वयन के कारण कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं हो सके।

1.14.4 निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा को उत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा दृष्टिगत और स्थल पर समायोजित न की गई अभ्युक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) के माध्यम से संप्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज. के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2014 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 12 विभागों से संबंधित 306 आई.आरज के 1,188 अनुच्छेद 30 सितंबर 2014 तक लंबित रहे।

[10] वन, उद्योग, बिजली, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) और पर्यटन।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे कि: (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजा जाएगा; (ख) निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार होगी।

1.15 इस प्रतिवेदन का कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 126.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना'' तथा ''हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन'' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 10 अनुच्छेद शामिल हैं।